न्यायालय उपजिलाधिकारी बदलापुर, जौनपुर।

वाद संख्या   धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006

साठमौ0–खजुरन, परगना–गड़वारा

तहसील–बदलापुर, जिला–जौनपुर

राजीव बनाम ग्राम पंचायत

आदेश

प्रस्तुतवाद राजीव पुत्र रामयज्ञ सा0मौ0 करौंदीकलां, परगना व तहसील कादीपुर, जिला सुल्तापुर हाल मो0 ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर द्वारा ग्राम खजुरन, परगना गडवारा के आराजी नं0 16/0.393हे0, 17/0.304हे0, 18/0.255हे0, 19/0.061हे0, 20/0.287हे0, 22/0.522हे0, 23/0.668हे0, 24/0.922हे0 के बावत् ग्राम पंचायत खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर जरिये ग्राम प्रधान अध्यक्ष भू0प्र0स0 व वीरेन्द प्रसाद पुत्र रामयज्ञ सा0मौ0 करौंदीकलां, परगना व तहसील कादीपुर, जिला सुल्तापुर हाल मो0 ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर, जिला जौनपुर व उ0प्र0 सरकार जरिए जिलाधिकारी जौनपुर को प्रतिवादी बनाते हुये धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अन्तर्गत इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया है कि आराजी निजाई में हम वादी का 1/2 अंश व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/2 अंश है। आराजी निजाई बैनामा से प्राप्त की गयी है। हम वादी आराजी निजाई के 1/2 अंश यानी अपने सम्पूर्ण हिस्से में विद्यालय बनवा रहा है। मौके पर जमीन काश्त नहीं की जा रही है। अन्त में अनुरोध किया है कि आराजी निजाई में 1/2 अंश अकृषिक घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाय। पत्रावली जॉचकर रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बदलापुर को भेजी गयी।

तहसीलदार बदलापुर द्वारा जॉचकर रिपोर्ट दिनांक 08.12.2016 को इस आशय का प्रेषित किया है कि ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर की आराजी नं0 17मि./0.174हे0, 18मि./0.174हे0, 23मि./0.436हे0, 24मि./0.512हे0 पर विद्यालय की चहार दीवारी एवं नींव का कार्य किया जा रहा है। कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा 80 के तहत् भूमि अकृषिक घोषित करने हेतु रिपोर्ट संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है। वादी द्वारा भूमि की मालियत का 1 प्रतिशत यानी 26000 रूपये जमा किया गया है। जिसकी चालान की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

मैनें वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बदलापुर की रिपोर्ट से सहमत होते हुये ग्राम खजुरन, परगना गड़वारा, तहसील बदलापुर की आराजी नं0 17मि./0.174हे0, 18मि./0.174हे0, 23मि./0.436हे0, 24मि./0.512हे0 को अकृषिक घोषित करते हुये लगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक बदलापुर को भेजी जाय। परवाना जारी हो वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(ममता मालवीय)

उपजिलाधिकारी

बदलापुर,जौनपुर